

¹[नियम 32क : उन दशाओं में प्रदाय का मूल्य जहां केरल खाद्य उपकर लागू होता है

ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के मूल्य को, जिन पर केरल वित्त विधेयक, 2019 के खंड 14 के अधीन केरल खाद्य उपकर का उदाहरण किया गया है, अधिनियम की धारा 15 के निबंधनों में अवधारित किया गया मूल्य समझा जाएगा किन्तु उसे उक्त उपकर को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 31/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2019 नियम 32क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 01.07.2019)।